संख्या-4010/बयालिस-2007-355/[illegible]/1979

प्रेषक,

डी0 के0 सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
खेल, उत्तर प्रदेश
खेल निदेशालय, लखनऊ।

खेलकूद अनुभाग   लखनऊ   दिनांक 11 फरवरी, 2008

विषय—शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए स्टेडियम का निःशुल्क आवंटन।

महोदय,

सामान्यतः क्रीड़ांगनों का आवंटन निर्धारित शुल्क लेकर किया जाता है और यही व्यवस्था शिक्षा विभाग द्वारा कराए जाने वाले स्कूल खेलों पर लागू होती है।

उपरोक्त के संबंध में सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि जनपद स्तर पर जिला विद्यालय निरीक्षक अथवा मण्डल स्तर पर मण्डलीय संयुक्त/उप शिक्षा निदेशक द्वारा भेजे जाने वाले प्रस्तावों पर निःशुल्क आवंटन पर विचार किया जाये। यदि शिक्षा निदेशक स्तर पर वर्ष का कलेण्डर निर्धारित कर जारी किया जाता है तब उसके आधार पर भी संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक से अनुरोध प्राप्त होने पर स्टेडियम को खेलकूद हेतु निःशुल्क आरक्षण किया जाये। कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डी0 के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-4010(1)/बयालिस-2008-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(डी0 के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
खेल भवन, लखनऊ।

संख्या-4735/2007-08,   दिनांक 25 फरवरी, 2008।

[illegible] को इस आशय से प्रेषित कि शासन के उक्त पत्र में दिये गये निर्देशानुसार नियमानुसार कार्यवाही [illegible]

1- समस्त क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, उ0प्र0।
2- समस्त क्रीड़ाधिकारी, जिला खेल कार्यालय, उ0प्र0।

(अनिलकुमार [illegible])
उप निदेशक
कृते निदेशक।